

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-17/विविध 1-02/2020

पटना, दिनांक— / /2025

डा० गणेश चन्द्र कर्ण, अधीक्षक, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर के दिनांक-20.06.2025 से 10.07.2025 (कुल-21 दिन) तक की अवधि जो विदेश अवकाश के रूप में बितायी गयी है, को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

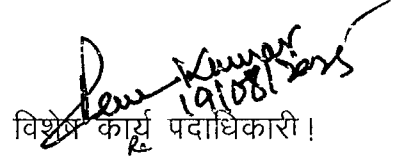
ज्ञापांक-17/विविध 1-02/2020-939/17) पटना, दिनांक :- 19/08/2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०व०गो०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एव ह०) का कार्यालय, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर/डा० गणेश चन्द्र कर्ण, अधीक्षक, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।